न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—2025 / 16

सरकार जरिये श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी

बनाम्

श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भगवान दास(मालिक व विक्रेता), मैसर्स— बालाजी किरयाना स्टोर, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006bv

—:निर्णयः—

दिनांकः—20.06.2025

यह इस्तगासा **श्री हेतराम,** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि परिवादी तत्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी **श्री हेतराम** दिनांक 10.11.2023 को समय 05:00 बजे **मैसर्स—बालाजी किरयाना स्टोर, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर** पर पहुँचा। मौके पर विक्रेता **श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भगवान दास(मालिक व विक्रेता)** को अपना परिचय देकर संस्थान में लाईसेंस / रजि. के बारे मे जानकारी चाही गई तो मालिक द्वारा लाईसेंस / रजि. प्रस्तुत नही किया गया साथ ही संस्थान में रखे लाल मिर्च पाउडर(आर.के.ब्राण्ड) लगभग 20 पोली पैक(500 ग्राम) रखा हुआ था, के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को मालिक बताया तथा दुकान में रखे **लाल मिर्च पाउडर (आर.के. ब्रांड)** 20 पोली पैक(500 ग्राम) आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट व भ्रामक जानकारी पैकेट पर अंकित होने के शक पर विक्रेता से लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्रांड) नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं.—5 ए भरकर देते हुए वयक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फार्म

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्रांड)** में से 02 किलोग्राम 4 मूल पोली पैक विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता से विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **लाल मिर्च पाउडर (आर.के. ब्रांड)** का नगद भुगतान **720 /**—रूपए किया तथा विक्रेता से केशमीमो बनवाकर लिया, जिस पर विक्रेता, गवाहान व मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भगवान दास(मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भगवान दास(मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्रांड)** 4 सील्ड पैकेटों को साफ सूखे व खाली गत्ते के चार डिब्बों में अलग—अलग रखकर ढक्कन बंद किया खरीदे गये खाद्य पदार्थ मिर्च के 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के—2107** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **के—2107** नियमानुसार चारों नमूना भागें पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील चपड़ी लगाकर बंद चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर

समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक **नीरज कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

नमूना संग्रहित करने के पश्चात मौके पर ही शेष बचे **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्राण्ड)** जिसकी निर्माण तिथि नवम्बर 22 व बेस्ट बिफोर अवधि 8 महीने पूर्ण होने पर खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(आर. के. ब्राण्ड)** अवधि पार होने के कारण शेष बचे 16 पैकेटो को मालिक व विक्रेता एवं गवाहों के सामने मौके पर नष्ट करवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2023/1660-61 दिनांक 21.12.2023** द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु कोई आवेदन नही किया है।

फूड एनालिस्ट, बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्रांक– एफएसएसए/2024/187–88 दिनांक 14.03.2024 द्वारा रजि. डाक से सूचित किया गया। जिस पर नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब, पुणे से जांच करवाने हेतु दिनांक 26.04.2024 को आवेदन प्राप्त हुआ।

एनालिस्ट, बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्रांक– एफएसएसए/2024/187–88 दिनांक 14.03.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्राण्ड)** का नमूना **Date of Manufacturing Nov.2022 and best before 8 months from Packing given on the labal of the sample. So the sample is not fully marketable as it sold after the date of best before** पाया गया। अतः **food safety and standard Act.2006 section 27(3)a** के अनुसार मालिक द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह नहीं होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही पेश करने का कहा गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतुराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 20.06.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/577–78 दिनांक 25.06.2024 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भगवान दास(मालिक व विक्रेता), मैसर्स– बालाजी किरयाना स्टोर, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर** से खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(आर. के. ब्राण्ड)** का नमूना **Date of Manufacturing Nov.2022 and best before 8 months from Packing given on the labal of the sample. So the sample is not fully marketable as it sold after the date of best before** पाया गया। अतः **food safety and standard Act.2006 section 27(3)a** के अनुसार अप्रार्थी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नही करके एफएसएसए एक्ट की धारा **27(3)a** का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

राजस्व(ग्रुप–1) की अधिसूचना क्रमांक/प.7(27) राज/2 /2023 –06221 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी.एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर दिनांक–21.02.2025 को प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पर नोटिस तामिल होने के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उपसंजात होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी किरयाना का कार्य करता है एवं उक्त फर्म में प्रोपराईटर है। प्रार्थी की दुकान से दिनांक 10.11.2023 को मिर्च का सैम्पल भरा गया जिसकी जांच के बाद प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अन्तर्गत दोषी करार किया। अवधि पार होने के कारण अमानक ठहराया गया। अवधि पार होने का प्रार्थी को ज्ञान नही था। जिसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रार्थी के द्वारा समय का अभाव कार्य अधिक एवं पारिवारिक कार्य होने के कारण हुआ है। अतः प्रार्थी को क्षमा कर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्राण्ड)** के नमूना जांच की खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.1940/Act/2023/1940 दिनांक 28.11.2023** में खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्राण्ड) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 27(3)a, 58** का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–2107 The sample is not fully marketable as it sold after the date of best before** पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा **27(3)a** के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। अप्रार्थी द्वारा **sold after the date of best before** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **sold after the date of best before** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा **27(3)a, 58** का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **27(3)a, 58** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा अवधि पार सम्मान का विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्राण्ड)** हेतु **श्री नीरज कुमार पुत्र श्री भगवान दास(मालिक व विक्रेता), मैसर्स–बालाजी किरयाना स्टोर, मैन रोड़ रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर** द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर(आर.के. ब्राण्ड)** पाये जाने पर **5000/–रूपये (पांच हजार रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–20.06.2025 को सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ